

LL.B VI Sem  
 Legal Language  
 By Dr Nishet Jha  
 24/04/2020

*A verbis legis non est recedendum.*

विधि के शब्द से विचलन नहीं होगा।

*Absolute sententia expositore non indiget.*

स्पष्ट भाषा के लिए निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती।

*Abundans cautela non nocet.*

अधिक सावधानी हानिकर नहीं।

*Accessorium non ducit, sed sequitur suum principale.*

समनुषंगी अधिकार मुख्य अधिकार का पूर्वगामी नहीं बल्कि अनुगामी होता है।

*Accessorius sequitur naturam sui principalis.*

समनुषंगी अधिकार की प्रकृति मुख्य अधिकार के अनुरूप होती है।

*Accusator post rationabile tempus non est quidiendus nisi se bene de omissione excusaverit.*

अभियोक्ता को युक्तियुक्त अवधि के पश्चात् तभी सुना जायेगा जब वह विलम्ब के लिए समाधानप्रद कारण बता दे।

*Actio non datur non damnificato.*

जिसे क्षति कारित नहीं हुई, उसे वाद का अधिकार नहीं, या क्षतिग्रस्त ही कार्यवाही करेगा।

*Actio qualibet in sua via.*

प्रत्येक कार्यवाही अपने विहित पथ का अनुसरण करती है।

*Actori incumbit onus probandi.*

सबूत का भार वादी या अभियोक्ता पर होता है।

*Actus curial nemine facit injuriam.*

न्यायालय का कार्य किसी को हानि नहीं पहुँचाता।

*Actus dei neminem gravabit.*

दैवी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर नहीं डाला जाता।

अर्थात्

दैवी कृत्य के कारण हुई क्षति के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

*Actus legis nemini est damnosus.*

विधिक कार्य से किसी को हानि नहीं होती।

*Ad ea quae frequentius accidunt jura a daptantur.*

विधि उन्हीं मामलों के लिए होती है जो बार-बार उठते हैं।

*Adversus extraneos vitiosa possessio prodossi solet.*

प्रतिकूल हक उन सब व्यक्तियों के खिलाफ है जो उससे बेहतर हक नहीं दिखा सकते।

*Aedificare in tuo proprio sole non licet quod alteri non neceat.*

अपनी भूमि पर भी ऐसा निर्माण उचित नहीं है जो किसी के लिए क्षतिकारक हो।

*Aequior est dispositio legis quam ho minis.*

विधि का निपटारा मनुष्य के निपटारे की अपेक्षा अधिक न्यायसंगत और पक्षपात रहित होता है।

*Aequitas agit in personam.*

साम्या व्यक्ति में निवास करती है।

*Aequitas casibus medetur.*

साम्या दुर्घटनाओं के विरुद्ध अनुतोष प्रदान करती है।



*Aequitas erroribus medetur.*

साम्या भूल को सुधारती है।

*Aequitas est quasi aequalitas.*

समता ही साम्या है।

*Aequitas jurisdictiones non confundit.*

साम्या क्षेत्राधिकार को भ्रान्त नहीं करती।

*Aequitas naturam rei non mutat.*

साम्या वस्तु की प्रकृति को नहीं बदलती।

*Aequitas non quam contravenit legis.*

साम्या विधि का प्रतिविधान नहीं करती या विधि के प्रतिकूल कदापि नहीं होती।

*Acquitas supervacua odit legum.*

साम्या विधि का अनुसरण करती है।

*Aequitas et bonum est lex legum.*

जो न्यायोचित और हितकर है, वहीं विधियों की विधि है।

*Affirmanti non neganti incumbit probatio.*

सबूत का भार प्रतिज्ञान करने वाले पर, न कि प्रत्याख्यान करने वाले पर होता है।

*Agentes et consentientes paripoena plectentur.*

कार्य करने वाला और सहमत होने वाला दोनों समान रूप से दण्ड के अधिकारी होते हैं।

*Aliquis non debet esse iudex in propria causa.*

कोई भी व्यक्ति अपने ही विषय में न्यायकर्ता नहीं हो सकता।

*Allegans contraria non est audiendus.*

जो परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है, उसकी सुनवायी नहीं होगी।

*Allegatio contra factum non est admittenda.*

विलेख के विरुद्ध अभिकथन ग्राह्य नहीं है।

*Ambigua responsio contra properentem est accipienda.*

संदिग्ध उत्तर का उपयोग उत्तरदाता के विरुद्ध किया जायेगा।

*Ambiguitas verborum latens verificatione suppletur, nam quod ex facto oritur ambiguum verificatione facti tollitur.*

अप्रत्यक्ष संदिग्धार्थता मौखिक साक्ष्य से दूर की जा सकती है क्योंकि संदिग्धार्थता बाह्य तथ्य से उद्भूत होती है वह ऐसे तथ्य का सबूत देने पर दूर की जा सकती है।

*Ambiguitas verborum patens nulla verificatione excluditur.*

प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता का निराकरण बाह्य साक्ष्य द्वारा नहीं किया जा सकता।

*Animus homini est anima scripti.*

आशय ही लिखत (instrument) का प्रमाण है।

*Applicatio est vita regulae.*

प्रयोग से नियम सिद्ध होता है।

*Argumentum a simili valet in lege.*

सदृश मामले में दिया गया तर्क विधि में मान्य है।

*Argumentum ab inconvenienti plurimum valet.*

असुविधा का तर्क विधि में मान्य है।

*Assignatus utitur Jure auctoris.*

समनुदेशिनी समनुदेशक का ही स्थान लेता है।

*Augusta legibus soluta non est.*

राजरानी भी विधि के अधीन होती है।



**Bonae fidei possessor in id tartum quad ad se pervenerit tenetur.**

सद्भावपूर्ण कब्जाधारी उसी के लिए दायी है जो वह प्राप्त करे।

**Bonae fidei possessor facit fructus consumptos suos.**

धारक सद्भाव से उपयुक्त फलों को अपना बना लेता है।

**Bonae fidei non patitur ut bis idem exigatur.**

एक ही सद्भाव वस्तु की दो बार न्यायालयीय कार्यवाही नहीं करने देता।

**Bonae fidei exigit ut quod convenit fiat.**

सद्भाव प्रेरित करता है कि संविदा पूरी की जाए।

**Boni iudicis est iudicium sine dilatione mandare executioni.**

अच्छे न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निर्णय के अविलम्ब निष्पादन का आदेश करे।

**Boni Iudicis est lites dirimere ne lis ex lite oritur.**

अच्छे न्यायाधीश का ध्येय यह हो कि मुकदमेबाजी समाप्त हो और वाद से वाद न निकले।

**Boni Iudicis est ampliare Jurisdictionem.**

अच्छे न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह अपने प्राधिकार का प्रयोग उदारतापूर्वक करे।

**Boni Iudicis est causas litium dirimere.**

अच्छा न्यायाधीश मुकदमेबाजी के कारणों से दूर करे।

**Breve Judiciale non cadit pro defectu formal.**

न्यायिक रिट में प्ररूप की त्रुटि मत देखो।

### C

**Cause proxima non remota spectatur.**

निकट हेतुक पर ध्यान दिया जाता है दूर के हेतुक पर नहीं।

**Cessante ratione legis, cessat ipsa lex.**

विधि के आत्मा रूप वाद/कारण का अन्त होने पर विधि का भी अन्त हो जाता है।

या

विधि का औचित्य समाप्त हो जाने पर विधि भी समाप्त हो जाती है।

[श्री स्वामी जी बनाम आयुक्त हिन्दू धार्मिक विन्यास, (1979) 4 सु० को० केसेज 643]

**Cessante statu primitivo cessat derivativus.**

मौलिक सम्पदा का अन्त होने पर व्युत्पन्न सम्पदा का भी अन्त हो जाता है।

**Cogitationis poenam nemo maretur petitur.**

कोई व्यक्ति केवल विचारों के लिए दण्डनीय नहीं हो सकता।

**Commodum ex injuria sua nemo habere debet.**

कोई भी व्यक्ति अपनी भूल का लाभ नहीं उठा सकता।

[मृत्युंजय पाणि बनाम नर्मदा बाला ससमल, ए० आई० आर० 1963 सु० को० 1353]

**Communis error facit Jus.**

बारबार की गलती विधि बन जाती है।

**Conditio praecedens adimpleri debet priusquam sequatur effectus.**

पुरोभाव्य शर्त पूरी होने पर ही आगे प्रभाव होगा।

**Conditio ex parte extincta ex toto extinguitur.**

खण्ड परिशमित संविदा को पूर्ण परिशमित मानें।

**Conditio illicita habetur pro non adjecta.**

अवैध प्रतिबन्ध अननुबन्ध समझा जाता है।



*Confirmat usum qui tollit abusum.*

जो किसी वस्तु के दुरुपयोग को हटाता है, वही उसके उपयोग की पुष्टि करता है।

*Conscientia legalise lage fundatur.*

अन्तःकरण की वैध प्रकृति विधि पर आधारित होती है।

*Conscientia legi nun quam contravenit.*

अन्तःकरण की प्रवृत्ति विधि का कभी उल्लंघन नहीं करती।

*Conscientia legis ex lege pendet.*

विधि की अन्तःकरण प्रवृत्ति विधि पर निर्भर करती है।

*Consentientes et agentes pari poena placentur.*

अपराध के कर्ता तथा सहभागी दोनों समान दण्ड के भागी हैं।

*Consentire est facere.*

सम्मति देना करने के समान है।

*Consentire matrimonio non possunt infra annos nubiles.*

विवाह योग्य वय से पूर्व पति-पत्नी की सम्मति प्रभावहीन है।

*Consilia multorum quaeruntur in magnis.*

बड़ी बातों में बहुतों की मंत्रणा आवश्यक होती है।

*Constitutiones tempore posteriores potiores sunt his quae ipsas praecesserunt.*

पश्चात्वर्ती विधि पूर्ववर्ती विधि पर अभिभावी होती है।

*Consuetudo debet esse certa; nam incerta pro nullis habentur.*

रूढ़ि निश्चित होनी चाहिए क्योंकि अनिश्चित बातों का कोई महत्व नहीं होता।

(सरस्वती अम्मल बनाम जगदम्बल, ए० आई० आर० 1953 सु० को० 201, 205)

*Consuetudo est altera lex.*

रूढ़ि भी एक विधि है।

*Consuetudo est optimus interpret legum.*

रूढ़ि से विधि की सर्वोत्तम व्याख्या होती है।

*Consuetudo loci est observanda.*

स्थानीय रूढ़ि का पालन करना चाहिए।

*Consuetudo prae scriptiva et legitima vincit legem.*

चिरकालिक एवं विधिसंगत रूढ़ि विधि को अभिभूत करती है।

*Consuetudo tollit communem legem.*

रूढ़ि सामान्य विधि को हटा देती है।

*Contemporanea exposito est optima et fortissima in lega.*

तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम और प्रभावी होती है।

*Contractus ad mentem partium verbis notatum intelligendus.*

पक्षकारों के शब्दों में अभिव्यक्त अभिप्राय के अनुसार संविदा को समझा जाना चाहिए।

*Contractus est quasi actus contra actum.*

संविदाकल्प कृत्य के विरुद्ध कृत्य है।

*Contractus est turpi causa est nullus.*

नीच विमर्श से उद्भूत संविदा शून्य होती है।

*Contractatio rei alienae animo furandi est furium.*

दूसरे की वस्तु को चुराने के अभिप्राय से छूना चोरी है।

*Crimen ex post facto non diluitur.*

अपराध का प्रायश्चित बाद के कृत्यों से नहीं हो जाता है।



*Crimen omnia ex se nata vitiat.*

अपराध तत्सम्भूत सब कार्यवाहियों को दूषित कर देता है।

*Cui jus est donandi eidem et vendendi et concidendi jus est.*

जिसे देने का अधिकार है उसे बेचने और अन्तरण करने का भी अधिकार है।

*Cui libet in sua arte perito est credendum.*

जो अपनी विशिष्ट वृत्ति में दक्ष है, उस पर विश्वास करना चाहिए।

(धारा 45 और 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम)

*Cui libet licet juri pro se introducto.*

जिसके लिए कोई नियम लाभदायक है, वह उस नियम को छोड़ भी सकता है।

*Cui licet quod majus non debet quod minus est non licere.*

जिसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का प्राधिकार है, उसे कम महत्वपूर्ण कार्य करने का भी प्राधिकार

*Cujus est commodum ejus debet esse incommodum.*

जिसको लाभ प्राप्त होता है उसको अलाभ भी प्राप्त होना चाहिए।

*Cujus est commodum ejus est onus.*

जिसे हित प्राप्त होता है, उसी पर भार भी होता है।

*Cujus est dare ejus est disponere.*

दान देने वाले को उसकी व्यवस्था विनियमित करने का अधिकार है।

*Cujus est instituere ejus est abrogare.*

जिसे संस्थापन का अधिकार है, उसे निराकरण का भी अधिकार है।

*Cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos.*

जो भूमि का अधिकारी है वह उसके ऊपर तक और नीचे तक की वस्तुओं का भी अधिकारी है।

*Cujus juris est principali ejus dem juris erit accessorium.*

सहायक विषय उसी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होता है जिसके अधीन मुख्य विषय होता है।

*Cujus que rei potissima pars est principium.*

प्रत्येक वस्तु का मुख्य भाग उसका प्रारम्भ होता है।

*Cullibet licet juri pro se introduce to renuntiare.*

कोई व्यक्ति अपने विधिक अधिकार का अभित्यजन कर सकता है।

*Cum duo inter se pugnancia repriuntur in testamento ultimum ratum est.*

किसी विल में परस्पर विरोधी खण्ड होने पर पश्चात्वर्ती खण्ड अभिभावी होगा।

*Culpa caret qui scit sed prohibere non potest.*

जो जानता तो है पर निवारण करने में असमर्थ है, वह दोषरहित होता है।

*Culpa poena par esto.*

अपराधानुसार दण्ड होना चाहिए।

*Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti.*

पराये मामले में हस्तक्षेप करना अपराध है।

*Culpa lata dolo aequiparatur.*

घोर उपेक्षा प्रतारणा के समान होती है।

*Culpa tenet suos auctores.*

अपराध अपने ही कर्ता को बांधता है।

*Culpa vel poena ex equitate non intenditure.*

दोष या दण्ड साम्या से नहीं निकलता।

*Cum adsunt testimonia rerum quid opus est verbis.*

जब तथ्यों के प्रमाण विद्यमान हों तब शब्दों की क्या आवश्यकता है।